याचिकाकर्ता के लिए सीखा वकील के विवाद में जो नियम 2.2 को उपरोक्त संदर्भित किया गया है, केवल पेंशन का निर्धारण करने के उद्देश्य से लागू होता है और जब किसी भी आपराधिक मामले को स्थापित किया जाता है, तो सरकारी सेवक की ऐसी पेंशन का निर्धारण करने के लिए कोई केस-टियोन नहीं होता है। नियम 2.2 विभागीय और साथ ही न्यायिक कार्यवाही सिविल या अपराधी पर लागू होता है जो नियम से जुड़े स्पष्टीकरण से स्पष्ट है। नियम 2.2 का उप-नियम 3 एक कार्रवाई के कारण न्यायिक कार्यवाही के संस्थान के लिए एक पूर्ण बार है, जो एक घटना पर उत्पन्न हुई थी जो इस तरह के इंस्टीट्यूशन से चार साल से अधिक समय से पहले हुई थी। वर्तमान मामलों में कथित अपराधों के आयोग के चार साल के बाद अदालत में चालान प्रस्तुत किए गए थे। अदालत उसी का मनोरंजन नहीं कर सकती थी।

(7) ऊपर दर्ज किए गए कारणों के लिए, इन संशोधन याचिकाओं को ट्रायल कोर्ट के आदेश की पुष्टि करते हुए आरोपी को निर्वहन करते हुए खारिज कर दिया जाता है।

जज *ए। एल। बहरी*

मिथलेश कुमारी-याचिकाकर्ता
बनाम

हरियाणा राज्य-प्रतिवादी
1988 का आपराधिक संशोधन संख्या 709।

5 सितंबर, 1988।

आपराधिक प्रक्रिया संहिता (1973 का II) -SS। 173 और 319- भारतीय दंड संहिता (1860 का I) -s। धारा 306 I.P.C.-POLICE रिपोर्ट के तहत 306-ऑफेंस धारा 173 CR.P.C. तीन प्रति-पुत्रों के खिलाफ-ट्रायल ने अधिक व्यक्तियों को बुलाने के लिए आवेदन नहीं किया, जैसा कि अभियुक्त के रूप में अधिक व्यक्तियों के रूप में आवेदन किया गया था, अनुमत-आदेश-आदेश के आदेश-आदेश को दर्ज करने की अनुमति नहीं दी गई है।

हेल्ड, कि धारा 161, आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 या उत्पादित दस्तावेजों के तहत दर्ज किए गए बयान को आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 319 (1) के तहत शक्तियों को लागू करने के लिए परीक्षण के दौरान नेतृत्व के रूप में प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यह केवल तब होता है जब परीक्षण के दौरान सबूत दर्ज किए जाते हैं कि धारा 319 Cr.P.C के प्रावधान। खेल में आ जाएगा और अदालत किसी भी अन्य व्यक्ति को अदालत के समक्ष पहले से आरोपी व्यक्तियों के साथ मुकदमा चलाने के लिए बुला सकती है, अगर सबूतों से यह अदालत में दिखाई देता है कि ऐसा प्रतीत होता है कि व्यक्ति ने अपराध किया है। चूंकि वर्तमान मामले में अदालत ने धारा 319 Cr.p.c. केवल अभियोजन या शिकायतकर्ता द्वारा दायर आवेदन पर नहीं किया जा सकता था।

(पैरा ४)

धारा 397/401 CR.P.C के तहत संशोधन के लिए याचिका। श्री के। सी। गुप्ता के न्यायालय के आदेश के संशोधन के लिए, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अंबाला, ने 6 अप्रैल, 1988 को दिनांकित किया, जो दोनों व्यक्तियों को सूरज पार्कश और पाला संत की मितलेश कुमारी की बेटी के रूप में बुलवाने के रूप में रुपये में जमानतदार वारंट के माध्यम से बुलाते थे। 5 मई, 1988 के लिए प्रत्येक 2,000 और, 13 जून, 1988 को विड्र ऑर्डर ने धारा 306 I.P.C के तहत अभियुक्त को चार्ज किया।

हेमंत कुमार, अधिवक्ता, याचिकाकर्ता के लिए ..

प्रतिवादी के लिए जे। बी। ताकोरिया, अधिवक्ता।

प्रलय

जज ए। एल। बहरी, जे।

24 और 25 अक्टूबर, 1984 को हस्तक्षेप करते हुए, बाल कृष्ण ने आत्महत्या कर ली। बाल कृष्ण के शरीर से, दो पत्र, 22 अक्टूबर और 23 अक्टूबर, 1987 को बरामद किए गए। इन पत्रों ने संकेत दिया कि उनकी पत्नी वीना को उनके पिता सूरज पार्कश, उनकी मां भागवंती, उनके मकान मालिक पाला और मिथलेश, वीना की बहन गोपाल कृष्ण की पत्नी के प्रभाव और दबाव के तहत वेश्या के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था। यह मामला पुलिस द्वारा जांच-एड किया गया था और धारा 173 के तहत रिपोर्ट की गई थी, आपराधिक प्रक्रिया

संहिता सूरज पार्कश, वीना और भागवंती के खिलाफ प्रस्तुत की गई थी। इन अभियुक्तों को कोर्ट ऑफ सेशंस के लिए प्रतिबद्ध होने के बाद, एक आवेदन दायर किया गया था कि उन पत्रों के आधार पर, पाला और मिथलेश कुमारी को भी दूसरों के साथ परीक्षण का सामना करने के लिए बुलाया जाना चाहिए। उक्त आवेदन को 6 अप्रैल 1988 को अतिरिक्त सेस-सायन न्यायाधीश द्वारा अनुमति दी गई थी। 13 जून, 1988 को दिनांकित आदेश, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि पांच आरोपियों के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए आधार थे जो पूर्वोक्त होने का आदेश दिया गया था। धारा 306 के तहत आरोपित। भारतीय दंड संहिता। इन दो आदेशों को इस रेव-सायन याचिका में मिथलेश कुमारी द्वारा चुनौती दी जा रही है।

(२) याचिकाकर्ता के लिए सीखा वकील का विवाद यह है कि सबूतों को रिकॉर्ड किए बिना। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के पास याचिकाकर्ता को मुकदमे का सामना करने के लिए बुलाने का आदेश देने के लिए कोई क्षेत्राधिकार नहीं था। वहाँ इस विवाद में बल है। धारा 319 (1), आपराधिक प्रक्रिया संहिता, के रूप में पढ़ती है:-

"319. अन्य व्यक्तियों के खिलाफ आगे बढ़ने की शक्ति अपराध के लिए दोषी है:

(१), जहां, किसी भी जांच के दौरान, या एक अपराध के परीक्षण के दौरान, यह सबूतों से प्रकट होता है कि किसी भी व्यक्ति ने अभियुक्त नहीं होने के कारण कोई भी अपराध किया है जिसके लिए ऐसे व्यक्ति को आरोप के साथ मिलकर आजमाया जा सकता है, सेड, सेड, सेड, अदालत उस व्यक्ति के खिलाफ उस अपराध के लिए आगे बढ़ सकती है जो उसने प्रतिबद्ध किया है। "

(३) पूर्वोक्त प्रावधान कोई संदेह नहीं है कि किसी भी व्यक्ति को बुलाने के मामले में ट्रायल कोर्ट को व्यापक शक्तियां मिलती हैं, भले ही धारा 173, आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत प्रस्तुत रिपोर्ट में एक अभियुक्त के रूप में नहीं दिखाया गया, जिसके खिलाफ एक जांच के दौरान। या परीक्षण, यह सबूतों से प्रकट होता है कि उसने कोई अपराध किया था। यह मामला जोगिंदर सिंह में सुपर-रेरे कोर्ट और पंजाब राज्य (1) राज्य (1) पर विचार कर रहा था। आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 193, 209 और 319 (1) के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए, इस निर्णय के पैरा 6 में यह आयोजित किया गया था:-

"यह सच है कि इस मामले की एक कमिटल नहीं हो सकती है कि अदालत के समक्ष एक आरोपी व्यक्ति होने के नाते, लेकिन इसका मतलब यह है कि अपराध के संबंध में एक मामले से पहले कुछ अभियुक्त होना चाहिए। अदालत के समक्ष अपराध में शामिल लेकिन एक बार अपराध के संबंध में मामला उन अभियुक्तों के लिए जो अदालत से पहले किए गए हैं, तब अपराध के संज्ञानात्मक को सत्र अदालत और बार द्वारा समर्थक लिया जा सकता है। धारा 193 में, अतिरिक्त व्यक्तियों के रास्ते से बाहर हो जाएगा और परीक्षण के दौरान नेतृत्व किए गए सबूतों से अपराध में शामिल होने के लिए दिखाई देगा और उन्हें उन लोगों के साथ अपने परीक्षण को खड़ा करने के लिए निर्देशित करना होगा जो पहले से ही प्रतिबद्ध थे। इस तरह के लिए, ध्यान में रखते और सामान्य प्रक्रिया का एक हिस्सा जो इसका अनुसरण करता है; अन्यथा सत्र कोर्ट पर धारा 319 (1) के तहत शक्ति का सम्मेलन नगा टोरी का प्रतिपादन किया जाएगा। "(जोर दिया गया)।

उपरोक्त दृष्टिकोण को सुप्रीम कोर्ट ने नगर निगम के दिल्ली बनाम राम किशन रोहतागी और अन्य, (2) में दोहराया था। फैसले के पैरा 19 में, इसके तहत आयोजित किया गया था: -

"इन परिस्थितियों में, इसलिए, यदि अभियोजन किसी भी चरण में सबूत का उत्पादन कर सकता है, जो अदालत को संतुष्ट करता है कि दूसरे आरोपी या जो लोग सरणी नहीं हैं, तो अभियुक्त के रूप में जिनके खिलाफ कार्यवाही को समाप्त कर दिया गया है, ने भी अपराध कर सकते हैं। उनके खिलाफ संज्ञानात्मक और उन्हें अन्य अभियुक्तों के साथ आज़माएं। लेकिन, हम यह जोड़ने के लिए जल्दबाजी करेंगे कि यह वास्तव में एक असाधारण शक्ति है जो अदालत में प्रदान की जाती है और इसे बहुत संयम से इस्तेमाल किया जाना चाहिए और केवल तभी जब दूसरे के खिलाफ संज्ञानात्मक कारणों के लिए मौजूद कारण मौजूद हैं वह व्यक्ति जिसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई है। ”

(४) वर्तमान मामले में, परीक्षण के रूप में परीक्षण आगे नहीं बढ़ा है। सबूत अभी तक परीक्षण में दर्ज किए जा सकते हैं। अदालत के सामने क्या था, धारा 173 के तहत प्रस्तुत की गई एक रिपोर्ट, आपराधिक प्रो-सेड्योर कोड गवाहों के बयानों के साथ-साथ धारा 161, आपराधिक प्रक्रिया संहिता, और दस्तावेजों के तहत, दो पत्र, उपरोक्त के लिए संदर्भित किया गया था। धारा 161, आपराधिक प्रक्रिया संहिता, या उत्पादित दस्तावेजों के तहत दर्ज इस तरह के बयानों को आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 319 (1) के तहत शक्तियों को लागू करने के लिए मुकदमों के दौरान दिए गए साक्ष्य के रूप में नहीं माना जा सकता है। इस स्तर पर, यह कहा जा सकता है कि इस तरह की सामग्री को फ्रेमिंग चार्ज के प्रयोजनों के लिए माना जा सकता है जैसा कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 226, 227 और 228 से स्पष्ट है। ये प्रावधान सत्र की अदालत के समक्ष परीक्षण से संबंधित हैं। अभियोजन के मामले को खुला करते हुए, लोक अभियोजक अभियुक्त के खिलाफ लाए गए आरोप का वर्णन करना है और यह बताना है कि आरोपी के अपराध को साबित करने के लिए वह किस सबूत का प्रस्ताव रखता है। यह मामले के रिकॉर्ड और उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों के बारे में है कि यदि अदालत को अभियुक्त के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार नहीं मिलता है, तो अदालत अभियुक्त का निर्वहन करेगी, अन्य-वार कोर्ट को आरोप फ्रेम करने के लिए है। ये प्रावधान अभियुक्तों के लिए केबल हैं जो अदालत के सामने हैं। इसके बाद यह है कि जब परीक्षण के दौरान सबूत दर्ज किए जाते हैं कि धारा 319, आपराधिक प्रक्रिया संहिता के प्रावधान, खेल में आएंगे कि अदालत किसी भी अन्य व्यक्ति के साथ मुकदमा चलाने के लिए बुला सकती है व्यक्तियों ने पहले से ही अदालत के समक्ष आरोप लगाया था कि अगर सबूतों से यह अदालत में प्रतीत होता है कि ऐसे व्यक्ति ने अपराध किया है। चूंकि वर्तमान मामले में अदालत ने कोई सबूत दर्ज नहीं किया था, धारा 319 (1), आपराधिक प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों का सहारा, केवल सरकारी अभियोजक या शिकायतकर्ता द्वारा दायर आवेदन पर नहीं किया जा सकता था। 6 अप्रैल, 1988 को आदेश दिनांकित किया गया- मिथलेश ने मिथलेश पर मुकदमा चलाने का आरोप लगाया, जिसे अवैध रूप से अलग रखा गया है। परिणाम के साथ मिथलेश के आरोपों के खिलाफ आदेश फ्रेमिंग चार्ज-एड दिनांक 13 जून, 1988 को उस हद तक एक तरफ सेट किया गया है, जबकि संशोधन याचिका को स्वीकार करते हुए।

जज जी। सी। मिटल और एस। डी। बजाज

पियारा सिंह और एक अन्य, - याचिकाकर्ताओं
बनाम

हरियाणा और अन्य राज्य, - उत्तरदाताओं

1988 के सिविल रिट याचिका संख्या 72
26 सितंबर, 1988।

(ए) भारत का संविधान, १ ९ ५०-आर्ट्स। 14, 16, 37 से 44 और 226-औद्योगिक विवाद अधिनियम, (1947 का xiv) -SS। 25-B, 25-F और 25-G-AD HOC क्लास III और IV कर्मचारी ऐसे कर्मचारियों की पंजाब-सेवा राज्य के विभिन्न विभागों और निगमों में एक वर्ष से अधिक समय तक सेवारत हैं- चाहे वह नियमित रूप से-यदि नियमित रूप से हो तो सेवा लाभ नियमितीकरण के लिए योग्यता के लिए तिथि की प्रारंभिक नियुक्ति-निर्धारण की तारीख से दिया जाना चाहिए, जो कि अनुच्छेद 14 और 16 के अनुच्छेद और उल्लंघनशील है।

(बी) राज्य विभागों के नियमित रूप से कर्मचारी और कोर- सेवा के वर्षों में हरियाणा राज्य में दो छिद्रों के पूरा होने पर-क्या नियमित कर्मचारी-व्यक्तियों के रूप में माना जाता है जो एक वर्ष से अधिक से अधिक सेर-वाइस सेवाओं को पूरा कर सकते हैं। नियमितीकरण की फ्रेम स्कीम के लिए निर्देशित-सरकार को समाप्त कर दिया जाए।

(ग) नियमितीकरण-दैनिक मजदूरी श्रमिकों और आकस्मिक मजदूरों के अलावा जो 'काम करने वाले' के अर्थ के भीतर गिरते हैं,

(1) AIR 1979 S.C. 339.

(2) *(2) A.I.R. 1983 S.C. 67.*

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी

व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

पारिंदर सिंह
प्रशिक्षु न्यायिक पदाधिकारी
जींद, हरियाणा